न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/4395/2003/गंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ, श्रीगंगानगर

........अपीलार्थी

बनाम

1. केसराराम
2. काना
3. खेता
4. श्योनारायण

पिसरान हरजीराम, कुम्हार, निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ, जिला गंगानगर

5. भागीरथ पुत्र चेतनराम
6. केसराराम पुत्र चेतन राम

जाति मेघवाल, निवासी बीरमाना, तहसील सूरतगढ, जिला गंगानगर

7. आसी पत्नी गणपत राम
8. हेमाराम
9. मेघाराम
10. बेगाराम
11. रामी
12. सरबती
13. नानी
14. गोमती
15. छोटकी

पुत्रगण व पुत्रियां गणपतराम मेघवाल निवासी बीरमाना, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

.... रैस्पो0

खण्ड – पीठ

श्री आर0के0 जायसवाल, सदस्य

श्री सतीश चन्द गोदारा, सदस्य

उपस्थितः–

श्रीमती पूनम माथुर, राज0 अति0 अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री मनीष पाण्डिया, अधिवक्ता रैस्पो0 1 से 4
श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता रैस्पो0 5, 6

निर्णय

दिनांकः – 16–7–2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अपील संख्या 17/2002 शीर्षक केसराराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–10–2002 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या– 1 से 4 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वाद अपीलार्थी व रैस्पो0 संख्या 5 से 15 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 6 ए0पी0 के प0 नम्बर 234/8,

234/16, 234/24, 235/9, 235/17 कुल रकबा 40.00 बीघा के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं जो खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035–38 से प्रमाणित है। उपनिवेशन विभाग बन्द होते समय गलती से प्रश्नगत आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम गलत प्रकार से अंकित कर दिया गया। वादपत्र में अनुतोष चाहा कि दावा वादी डिक्री कर प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने निर्णय दिनांक 30–03–1993 से दावा वादी खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध वादीगण की ओर से अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपील संख्या 3/93 दिनांक 24–7–1993 को खारिज की गई। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील संख्या 168/93 प्रस्तुत होने पर माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने निर्णय दिनांक 8–12–1999 से प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नियमानुकूल निर्णय पारित करें। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने प्रकरण में "धारा 183 के तहत कार्यवाही हेतु तहसीलदार को निर्देश प्रदान करते हुये" तथा यह मानते हुये कि "हम सहमत नहीं है कि वाद में धारा 42–बी का उल्लंघन नहीं है", दिनांक 30–01–2002 को दावा वादी इस अभिमत के साथ खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08–10–2002 से अपील को स्वीकार कर दावा वादी डिक्री किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

5– योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी–प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से परीक्षण करते हुये वादी के वाद को खारिज किया गया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुये रिकार्ड के विपरीत जाते हुये अपील स्वीकार कर वादी के वाद को डिक्री किया है। योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि प्रश्नगत भूमि उसकी पुरानी कब्जे काश्त की भूमि होना साबित होता हो। रिकार्ड में मात्र केसरा वगैराह ही अंकित था एवं केसा पुत्र हरजी भी है एवं केसरा पुत्र चेतनराम भी है, अतः इन दस्तावेजों के आधार पर वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता है। रैस्पो0 संख्या 5 लगायत 15 अनु0 जाति के सदस्य हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए इकबाली जबाब दावा के आधार पर भी धारा 42–बी के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। यदि भूमि उप निवेशन विभाग से निकल कर वर्ष 1986 में राजस्व विभाग में आ गई थी और अनु0 जाति के व्यक्तियों के नाम लगा दी गई थी तो इसकी दुरुस्ती हेतु समयावधि के अन्दर वाद प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रुप से धारा 42–बी के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया है।

वादीगण का प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है और कब्जा नहीं होने से उनके पक्ष में किसी प्रकार का खातेदारी घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया जाये।

6– रैस्पो0 संख्या 1 से 4/वादीगण पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि रैस्पो0 संख्या 1 से 4 के पिता हरजीराम के नाम स्टेट के समय से कब्जे काश्त खातेदारी में चली आ रही है, मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2003 से यह स्पष्ट है। चकबन्दी बनने पर चक 3 बी0एन0एम0 में 14 बीघा व चक 6 ए0पी0 में 40 बीघा पैमूद हुई है। सूची नम्बर 4 व 8 चकबन्दी की प्रस्तुत की गई है। चक 3 बी0एन0एम0 में 14 बीघा हरजी के फौत होने पर अपीलार्थीगण के नाम दर्ज है और इसके बारे में कोई विवाद नहीं रहा है। चक 6 ए0पी0 में 40 बीघा रैस्पो0 संख्या 1 से 4/वादी के नाम सम्वत् 2041 तक चलती रही है और कब्जे काश्त में है। नकल ख0गि0 इसकी पुष्टि करती है। सम्वत् 2042 में उप निवेशन विभाग समाप्त होने पर प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर मिलते नाम वाले केसराराम, भागीरथ, गणपत मेघवाल पि0 चेतन राम के नाम से गलत प्रकार से दर्ज कर दी गई है। रैस्पो0 के पूर्वजों के नाम से खसरा नम्बर 322 में 25 बीघा खातेदारी की भूमि थी जो चक प्लान में आने पर आज भी चक 6 ए0पी0 में रैस्पो0 की खातेदारी में दर्ज है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष रैस्पो0 संख्या 1 से 4/वादीगण द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वाद को पुष्ट किया था किन्तु गलत प्रकार से अभिमत पारित करते हुये वाद को खारिज कर दिया गया। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि रैस्पो0 केसराराम, भागीरथ, गणपत मेघवाल पि0 चेतन राम का कभी भी प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है। इसके अलावा जो तहसीलदार, सूरतगढ ने रिपोर्ट दिनांक 21–7–2001 प्रस्तुत की है उससे भी अपीलार्थी का कब्जा साबित होता है। परीक्षण न्यायालय ने गलत प्रकार से प्रकरण में धारा 42–बी के प्रावधान लागू होना माना है जब कि वादीगण का वाद पूर्व के अंकनों को दुरुस्त कराने का रहा है और पूर्व में आराजी अनु0 जाति के व्यक्तियों की खातेदारी में नहीं रही है। अतः जो अभिमत परीक्षण न्यायालय ने धारा 183 के बाबत् दिया है वह भी नियमों के परिप्रेक्ष्य में नही है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत रुप से पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक या रिकार्ड सम्बन्धी त्रुटि नहीं होने से इसे यथावत रखा जाये।

7– रैस्पो0 संख्या 5, 6/प्रतिवादी संख्या– 2, 3 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने अपील खारिज करने का निवेदन किया।

8- हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन-अध्ययन किया।

9- पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/ रैस्पो0 संख्या 1 से 4 के द्वारा वादपत्र में मुख्य रुप से यही उज लिया गया है कि चक 6 ए0पी0 के प0 नम्बर 234/8, 234/16, 234/24, 235/9, 235/17 कुल रकबा 40.00 बीघा के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। उपनिवेशन विभाग बन्द होते समय गलती से प्रश्नगत आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम गलत प्रकार से अंकित कर दिया गया। अतः दावा वादी डिक्री कर प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। प्रकरण में जो मुख्य रुप से परीक्षण योग्य बिन्दु है वह यही है कि आया प्रश्नगत भूमि चक 6 ए0पी0 के प0 नम्बर 234/8, 234/16, 234/24, 235/9, 235/17 कुल रकबा 40.00 बीघा के वादीगण/रैस्पो0 संख्या 1 से 4 पुराने खातेदार कृषक हैं और क्या उनका कब्जा काश्त है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मुताबिक पाया जाता है कि प्रदर्श. पी.1 खतौनी बन्दोबस्त राज श्री बीकानेर सम्वत् 2003 के अनुसार खसरा नम्बर 324 रकबा 54-04 बीघा खातेदार के कॉलम में हरजी वल्द पन्ना कौम कुम्हार अंकित है। प्रदर्श पी.2 (सूची नम्बर 4) के अनुसार खसरा नम्बर 324 की रकबा 54-04 बीघा में से 14 बीघा चक 3 बी0एन0एम0 में पैमूद हुई और शेष 40.04 बीघा चक 6 ए0पी0 में गया, जिसके पत्थर नम्बर 234/8 रकबा 6 बीघा, 234/16 रकबा 16 बीघा, 234/24 रकबा 2 बीघा, 235/9 रकबा 14 बीघा, 235/17 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 40. 00 बीघा में परिवर्तित हुई है। प्रदर्श पी. 3 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 में केसरा वगैरा अंकित है। प्रदर्श पी. 4 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032-34 में केसरा, काना, खेता, श्योनारायण पि0 हरजी कौम कुम्हार अंकित है। राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार खसरा नम्बर 324 खसरा गिरदावरी सन् 1952-55 में मालिक के कॉलम में कर्नल राजा भौपाल सिंह तथा काश्तकार के कॉलम में करजी पुत्र पन्ना कौम कुम्हार दर्ज है। सम्वत् 2020 तथा 2021-24 में अपीलार्थी के पिता के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2039-42 में अपीलार्थी की खसरा गिरदावरी अंकित है। इसके अलावा पानी की पर्ची से भी विवादित भूमि पर वादी पक्ष का कब्जा साबित होता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में वादीगण के पिता के पक्ष में अंकित रही है और बाद में सहवन से प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 5 व 6 के पक्ष में अंकित हों गई है। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में धारा 42-बी व धारा 183 का आक्षेप लिया है किन्तु जैसा कि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में यह भूमि रैस्पो0 संख्या 1 से 4/वादीगण के पिता हरजीराम के नाम अंकित रही है जो कि गैर अनु0 जाति वर्ग का है और उसके उपरान्त रैस्पो0 संख्या 5, 6/प्रतिवादी संख्या- 2, 3 जो कि अनु0

जाति के हैं, के नाम सहवन से दर्ज हो गई है। प्रकरण में अनु0 जाति के व्यक्ति की आराजी पर खातेदारी नहीं चाही गई है बल्कि वादीगण द्वारा पूर्व के अंकनों को बहाल किए जाने के आशय के साथ दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण में धारा 42-बी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट रुप से विस्तार से विवेचन करते हुये धारा 42 के प्रावधानों को प्रकरण में लागू होना नहीं माना है। अधिनियम, 1955 की धारा 183 कतिपय अतिचारियों की बेदखली के सम्बन्ध में है और चूँकि प्रकरण में निहित वादग्रस्त भूमि रैस्पो0 संख्या 1 से 4/वादीगण के पिता हरजीराम के नाम पूर्व से ही अंकित रही है, अतः उसे अतिचारी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा 183-बी के तहत तहसीलदार को जो निर्देश दिए गए हैं वे भी उचित नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में निहित समस्त तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को विधिवत परीक्षण करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की रिकार्ड एवं कानून सम्बन्धी त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द गोदारा)
सदस्य

(आर0के0 जायसवाल)
सदस्य